

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम  
अल  
हुक्म

12-3-2020। आज यह पत्रावली पेश  
हुई। ककील वारी कोई उपस्थित नहीं  
-यूनि मूलवाद अरुम पैरवी अरुम  
हाजिरी में खारीज किया जा चुका  
है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
-धारा 212 RACT के चलने का  
कोई औचित्य नहीं रह जाता  
है अब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
212 RACT की खारीज किया  
जाता है। पत्रावली फैसले सुमाद  
होकर नम्बर से रुम हीरट  
संलग्न मूलवाद ही।

SDorem

उपखण्ड अधिकारी

जिला- अलवर

के आदर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RACT की खारीज किया जाता है।

5/3/20

के आदर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RACT की खारीज किया जाता है।

5/3/20